

**न्यायालय :- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)  
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्यवहार वाद क्रमांक-102 ए/2012

संस्थापन दिनांक-31.10.2012

हीरूलाल उम्र 75 वर्ष, पिता हीरालाल जाति मरार,  
निवासी-ग्राम बाहकल, तहसील बिरसा,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- वादी

विरुद्ध

- 1-पंचूलाल उम्र 48 वर्ष, पिता हीरालाल जाति मरार  
निवासी-बाहकल तह0 बिरसा जिला बालाघाट
- 2-रुखमीबाई उम्र 60 वर्ष, पति मुकतलाल जाति मरार,  
निवासी-बाहकल तह0 बिरसा जिला बालाघाट
- 3-रूपाबाई उम्र 58 वर्ष, पति भादूलाल जाति मरार,  
निवासी-बछेरापाठ (बाहकल) तह0 बिरसा जिला बालाघाट
- 4-रूपनबाई उम्र 55 वर्ष, पति सुन्दरलाल जाति मरार,  
निवासी-भण्डेरी तह0 बैहर जिला बालाघाट
- 5-माननबाई उम्र 53 वर्ष, पति महेश जाति मरार,  
निवासी-बाहकल तह0 बिरसा जिला बालाघाट
- 6-दुरपतिबाई उम्र 50 वर्ष, पति दुजेलाल जाति मरार,  
निवासी भण्डारपुर तह0 बैहर जिला बालाघाट
- 7-मध्य प्रदेश राज्य तर्फे कलेक्टर बालाघाट,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- प्रतिवादीगण

**:-// / निर्णय / /:-**

**(आज दिनांक-27/01/2015 को घोषित)**

- 1- वादी ने यह व्यवहार वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध मौजा बाहकल प.ह.  
नं-48, रा.नि.मं. बिरसा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 141/1

रकबा 18.45 एकड़ भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा) में से उसके आधिपत्य की रकबा 8.73 एकड़ भूमि पर हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने, तहसीलदार बिरसा के बंटवारा आदेश को प्रभावशून्य कर विवादित भूमि के रकबा 9.23 एकड़ भूमि पर स्वत्व प्राप्त होने की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 ने प्रतिदावा प्रस्तुत कर विवादित भूमि के रकबा 8.72 एकड़ भूमि पर हस्तक्षेप किये जाने से रोकने हेतु वादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाही है।

2— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 के पिता हीरालाल आपस में सगे भाई थे। वादी तथा हीरालाल के पिता सुकलु उर्फ सुकलाल फौत हो चुके हैं। हीरालाल के फौत उपरान्त प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 का विवादित भूमि में शामिल शरीक रूप से नाम दर्ज हुआ।

3— वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि मूल पुरुष सुकलु उर्फ सुकलाल के स्वत्व की विवादित भूमि सुकलु की फौत उपरान्त फौती दाखिला में राजस्व अभिलेख पर उसके वारसान वादी एवं उसके भाई हीरालाल के नाम पर शामिल शरीक रूप से दर्ज हुई थी। विवादित भूमि पर वादी एवं हीरालाल पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार अलग-अलग काश्त करते थे, किन्तु उनके बीच जमीन का विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ था। इसी दौरान प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 के पिता हीरालाल ने अपने हिस्से की एक एकड़ भूमि का विक्रय कर दिया और उसके पश्चात् हीरालाल की मृत्यु हो गई। हीरालाल की फौत उपरान्त विवादित भूमि पर उसके वारसान के रूप में प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 का नाम शामिल शरीक रूप से दर्ज हुआ, तथा पारिवारिक व्यवस्थापन के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक-1 हीरालाल के हिस्से में काश्त करने लगा।

4— वादी का यह भी अभिवचन है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 ने नायब तहसीलदार बिरसा के समक्ष विवादित भूमि के बंटवारा का प्रकरण दायर करने पर वादी ने प्रकरण में हीरालाल द्वारा विक्रय किये गए एक एकड़ भूमि को प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 के अंश में समायोजित कर किस्म वार बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार द्वारा वादी को विवादित भूमि में से 8.73 एकड़ भूमि बंटवारे में दी गई जो कि वादी को 50 डिसमिल भूमि कम प्राप्त हुई है तथा भूमि का विधिवत् किस्मवार बंटवारा भी नहीं किया गया है। दिनांक 11.07.12 को वादी अपने अंश की भूमि पर

कृषि कार्य कर रहा था तो प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 के द्वारा उसकी एक एकड़ भूमि पर काश्त करने की धमकी देते हुए अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर दखलअंदाजी की गई। वादी ने विवादित भूमि में से उसके आधिपत्य की रकबा 8.73 एकड़ भूमि पर हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने, तहसीलदार बिरसा के बंटवारा आदेश को प्रभावशून्य कर विवादित भूमि के रकबा 9.23 एकड़ भूमि पर स्वत्व प्राप्त होने की घोषणा का अनुतोष चाहा है।

5— प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 ने स्वीकृत तथ्य को छोड़कर वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए लिखित कथन एवं प्रतिदावा में अभिवचन किया है कि विवादित भूमि उनकी पैतृक भूमि है। विवादित भूमि में से एक एकड़ भूमि का वादी एवं हीरालाल के द्वारा दिनांक 03.02.1975 को विपतलाल के पक्ष में विधिवत् विक्रयपत्र निष्पादित कर उसको भूमि का कब्जा दिया था। विवादित भूमि के शेष 17.45 एकड़ भूमि का तहसीलदार के द्वारा विधिवत् बंटवारा करते हुए वादी को 8.73 एकड़ एवं प्रतिवादीगण को 8.72 एकड़ प्राप्त हुई है। उक्त विभाजन आदेश के विरुद्ध वादी ने अनुविभागीय अधिकारी बैहर के समक्ष अपील की थी, जो दिनांक 21.06.10 को निरस्त हो चुकी है। प्रतिवादीगण ने बंटवारे में प्राप्त भूमि का विधिवत् सीमांकन करवाकर कब्जा प्राप्त किया है। वादी ने दिनांक 27.10.12 को अचानक कुछ लोगों को लेकर प्रतिवादीगण के आधिपत्य की 8.72 एकड़ भूमि के एक एकड़ भूमि में पर लगी हुई धान की फसल को जबरन काटने की धमकी देने लगा। वादी के द्वारा प्रतिवादीगण की भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है, इस कारण प्रतिवादीगण ने वादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है।

6— वादी ने प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए लिखित कथन में यह अभिवचन किया है कि वादी पूर्व के व्यवस्थापन के आधार पर अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य कर रहा था तो दिनांक 11.07.12 को प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 एकराय होकर आए और वादी से कहने लगे कि एक एकड़ अधिक भूमि पर काश्त नहीं करने देंगे। वादी उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण लगभग 50 वर्षों से काबिज काश्त चले आ रहा है, जिसमें प्रतिवादीगण को दखल देने का अधिकार नहीं है। अतः प्रतिदावा निरस्त किया जावे।

7— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-7 एकपक्षीय है तथा उसकी ओर से लिखित कथन पेश नहीं किया गया है।

8— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :-

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा बाहकल प.ह.नं. 48 रा.नि.मं. बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा 141/1, के रकबा 18.45 मे से प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 के पिता हीरालाल द्वारा 1 एकड़ भूमि का विक्रय किया गया है ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या उक्त विक्रय की गई 1 एकड़ भूमि को वादी, प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 को प्राप्त होने वाले अंश में से मुजरा कराने का हकदार है ?	प्रमाणित नहीं
3	क्या तहसीलदार बिरसा के द्वारा पारित किया गया बंटवारा का आदेश दिनांक 27.01.09 प्रभावशून्य है ?	प्रमाणित नहीं
4	क्या मौजा बाहकल प.ह.नं. 48 रा.नि.मं. बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा 141/1, के शेष रकबा 17.45 में से वादी को 9.23 एकड़ भूमि का स्वत्व प्राप्त है ?	प्रमाणित नहीं
5	क्या उक्त विवादित भूमि में से प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 के 8.72 एकड़ भूमि के आधिपत्य में वादी के द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं
6	क्या उक्त विवादित भूमि में से वादी के 8.73 एकड़ भूमि के आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 के द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा ?	प्रमाणित नहीं
7	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

#### वादप्रश्न क्रमांक-1, 2 एवं 4 का निराकरण

9— उक्त वादप्रश्नों का सुविधा की दृष्टि से एक साथ निराकरण किया जा रहा है। वादी ने अपने पक्ष समर्थन में खसरा फार्म वर्ष 2011-12 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-2 पेश की है, जिसमें बंटवारा उपरान्त खसरा नंबर 141/1 का रकबा 3.533 हेक्टेअर भूमि पर वादी का नाम दर्ज होना प्रकट होता है। संशोधन पंजी दिनांक 01.08.08 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-3 के अनुसार हीरालाल के फौत उपरान्त प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 का वारसान हक के आधार पर विवादित भूमि के



राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज होना प्रकट होता है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत पांचशाला खसरा फार्म की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-7 एवं प्रदर्श डी-9 से यह प्रकट होता है कि बंटवारा उपरान्त विवादित भूमि का नया खसरा नंबर 141/3 रकबा 8.72 एकड़ पर प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 का नाम दर्ज हुआ है। अतिरिक्त तहसीलदार बिरसा के आदेश दिनांक 28.04.12 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-11 के अनुसार विवादित भूमि में से प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 को प्राप्त खसरा नंबर 141/3 रकबा 8.72 एकड़ भूमि के 1.17 एकड़ पर अनावेदक हीरूलाल का अवैध कब्जा होने से कब्जा हटाने का आदेश पारित किया गया है।

10— वादी हीरूलाल (वा.सा.1) ने अपने अभिवचन के अनुरूप मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने तहसीलदार के बंटवारा आदेश के विरुद्ध अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपील पेश किया था। साक्षी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.02.1975 प्रदर्श डी-1 दिखाए जाने पर उसने उस पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। साक्षी ने इस बात की जानकारी न होना प्रकट किया है कि हीरूलाल ने एक एकड़ जमीन उसे न बेचते हुए विपतलाल को बेच दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जिस समय एक एकड़ जमीन का सौदा हुआ था, तभी हीरूलाल को उसने कहा कि जमीन उसे बेच दो, किन्तु हीरूलाल नहीं माना। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने उक्त रजिस्ट्री को निरस्त कराने के लिए प्रयास नहीं किया। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.02.1975 प्रदर्श डी-1 की जानकारी प्रारंभ से रही है, किन्तु उसने उक्त विक्रयपत्र को रोकने का प्रयास नहीं किया और न ही पश्चात् में निश्चित समयावधि के भीतर उसे निरस्त किये जाने की कार्यवाही की। ऐसी दशा में यह मान भी लिया जाए की प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 के पिता हीरूलाल ने एक एकड़ भूमि विवादित भूमि में से विक्रय की थी, तब भी वादी अपने कार्य और आचरण के कारण उक्त विक्रयपत्र से विबंधित है।

11— वादी के दावे का मुख्य आधार हीरूलाल द्वारा एक एकड़ भूमि को विक्रय किये जाने के कारण विवादित भूमि में प्रतिवादीगण को प्राप्त होने वाले अंश में से एक एकड़ भूमि मुजरा किया जाना है। हीरूलाल (वा.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण में इस बात की जानकारी न होना प्रकट किया है कि प्रतिवादीगण और उनके बीच बंटवारा होकर जमीन के दो हिस्से हो चुके हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे साक्ष्य के दौरान बताए जाने पर जानकारी हो रही है कि 8.73 एकड़ भूमि बंटवारे में प्राप्त हुई थी। यदि उसके अभिवचन और शपथपत्र में उक्त भूमि बंटवारे में मिलने के संबंध में लिखा हो तो मैं कारण नहीं बता सकता। साक्षी का आगे यह भी कथन है कि जो जमीन 8.72 एकड़ पंचूलाल के कब्जे में है, उसमें से 50 डिसमिल भूमि पंचो के समक्ष

पंचूलाल ने उसे देने का आश्वासन दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि पंचूलाल वगैरह कहते हैं कि 8.72 एकड़ भूमि बंटवारे में मिली है उसमें से वे 50 डिसमिल भूमि नहीं देना चाहते। साक्षी के उक्त कथन के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि वह स्वयं उसके अभिवचन व मुख्य परीक्षण में किये गए कथन से मुकरते हुए असत्य कथन कर रहा है, जिसके कारण विवादित भूमि के बंटवारे में कथित एक एकड़ भूमि मुजरा किये जाने का दावा विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

12— वादी ने अपने पक्ष समर्थन में परदेशी (वा.सा.2) की साक्ष्य कराई है जिसने मुख्य परीक्षण में वादी के अभिवचन के अनुरूप कथन किये हैं, किन्तु प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में जानकारी न होना प्रकट किया है। इस साक्षी के कथन से वादी को किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

13— प्रतिवादी पंचूलाल (प्र.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिवचन के अनुरूप कथन किये हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि की एक एकड़ के विक्रय करने के पश्चात् 17.45 एकड़ भूमि बची थी, जिसका उसके पिता हीरालाल और वादी के मध्य बंटवारा नहीं हुआ था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि बंटवाराशुदा भूमि का मौके पर सीमांकन नहीं किया गया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि विवादित भूमि में से एक एकड़ भूमि को उसके पिता ने अकेले विक्रय किया था। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसके पिता ने बताया था कि दोनों भाईयों ने बेचे थे। इस प्रकार साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन वादी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। साक्षी के कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विवादित भूमि का बंटवारे के समय कुल रकबा 17.45 एकड़ था जिसे वादी और प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 के बीच समान विभाजन कर दिया गया है।

14— रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.02.1975 प्रदर्श डी-1 के साक्षी मुक्तलाल (प्र.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में प्रतिवादी का समर्थन करते हुए कथन किया है कि हीरालाल व हीरूलाल ने एक एकड़ जमीन का विक्रय की उक्त रजिस्ट्री विपतलाल के पक्ष में की थी जिस पर दोनों भाईयों ने उसके सामने हस्ताक्षर किया था। उक्त दस्तावेज पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना प्रकट किया है जिसका खण्डन उसके प्रतिपरीक्षण में नहीं किया गया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त विक्रयपत्र के समय हीरालाल एवं हीरूलाल से विक्रय राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछा था तो दोनों ने राशि प्राप्त करना स्वीकार किया था और उसके पश्चात् ही उसने बतौर साक्षी हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने विवादित भूमि का बंटवारा नहीं होने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.02.1975 प्रदर्श डी-1 का समर्थन करते हुए हीरालाल एवं हीरूलाल दोनों भाईयों के द्वारा विक्रयपत्र निष्पादित किया जाना और राशि प्राप्त करने की पुष्टि की

है। उक्त विक्रयपत्र का निष्पादन हीरालाल के साथ वादी के द्वारा भी किये जाने तथा विक्रयपत्र की जानकारी वादी को प्रारंभ से होने से वादी के द्वारा उक्त विक्रयपत्र को कथित आधार पर शून्य या निरस्त करने की कार्यवाही न किये जाने का कारण प्रकट नहीं किया गया है। वास्तव में उक्त विक्रयपत्र को वादी के द्वारा चुनौती न दिए जाने से विक्रयपत्र अंतिम हो चुका है तथा कथित एक एकड़ भूमि मुजरा किये जाने का वादी का दावा काल्पनिक रूप से एवं असत्य आधार पर प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 4 "प्रमाणित नहीं" के रूप में निराकृत किये जाते हैं।

### **वादप्रश्न क्रमांक 3 का निराकरण**

15— वादी ने अपने अभिवचन में तहसीलदार बिरसा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 10 ए/27 वर्ष 2008-09 में पारित आदेश दिनांक 27.01.09 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है। यद्यपि वादी ने उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्रकरण में पेश कर प्रमाणित नहीं कराई है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से उक्त आदेश के विरुद्ध की गई वादी के द्वारा पेश अपील में अनुविभागीय अधिकारी बैहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.10 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-5 पेश की है, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि के रकबा 17.45 एकड़ भूमि का तहसीलदार के द्वारा विधिवत् बंटवारा किये जाने की पुष्टि की गई है। ऐसी दशा में वादी के द्वारा विवादित भूमि के अवैध बंटवारा किये जाने के आक्षेप के संबंध में न तो दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उक्त बंटवारा आदेश पेश किया गया है और न ही ऐसी साक्ष्य पेश की गई है, जिससे उक्त बंटवारा को प्रभाव शून्य मान लिया जाए। वास्तव में तहसीलदार के द्वारा बंटवारा आदेश के संबंध में राजस्व अपीलीय न्यायालय के द्वारा पुष्टि किये जाने तथा इस न्यायालय के समक्ष उक्त बंटवारा की वैधानिकता को चुनौती दिए जाने का आधार न होने से वादी को बंटवारा के संबंध में कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक 3 प्रमाणित नहीं के रूप में निराकृत किया जाता है।

### **वादप्रश्न क्रमांक 5 एवं 6 का निराकरण**

16— उक्त दोनों वादप्रश्नों का सुविधा की दृष्टि से एक साथ निराकरण किया जा रहा है। वादी ने वादपत्र में बंटवारा उपरांत उसे विवादित भूमि में से प्राप्त 8.73 एकड़ भूमि के आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 के द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाना प्रकट किया है। जबकि प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 ने प्रतिदावा में बंटवारा उपरांत उन्हें विवादित भूमि में से प्राप्त 8.72 एकड़ भूमि के आधिपत्य में वादी के द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाना प्रकट किया है। उभयपक्ष ने बंटवारा

उपरान्त विवादित भूमि के उपरोक्त रकबा की भूमियों पर कथित एकदूसरे के हस्तक्षेप किये जाने के संबंध में अपनी साक्ष्य में स्पष्ट एवं ठोस प्रमाण पेश नहीं किये हैं। अतएव बिना किसी प्रमाण के यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि उभयपक्ष के द्वारा एकदूसरे की भूमियों पर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी दशा में उभयपक्ष एकदूसरे के विरुद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। अतएव वादप्रश्न क्रमांक 5 एवं 6 प्रमाणित नहीं के रूप में निराकृत किये जाते हैं।

### सहायता एवं व्यय

17— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी अपना वाद तथा प्रतिवादी क्रमांक—1 से 6 प्रतिदावा प्रमाणित करने में असफल रहें हैं। अतएव प्रकरण में वादी का वाद एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 से 6 का प्रतिदावा निरस्त करते हुए निम्नानुसार आज्ञा पारित की जाती है :—

- (1) वादी का वाद निरस्त किया जाता है।
- (2) प्रतिवादी क्रमांक—1 से 6 का प्रतिदावा निरस्त किया जाता है।
- (3) उभयपक्ष अपना-अपना वादव्यय स्वयं वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञा तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2,  
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2,  
बैहर